न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/463/2025 वाद **दायर दिनांक 06.08.2025**

1. शिवप्रसाद पिता बरदीचन्द जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
2. कौशल्या बाई पिता बरदीचन्द जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
3. मांगी बाई पिता बरदीचन्द जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।

उनवान

1. ओम प्रकाश पिता रूप लाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
2. नन्दकिशोर पिता रूप लाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
3. रमेश चन्द्र पिता रूप लाल जाति ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी उमण्ड तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।
4. तहसीलदार कपासन, तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़।

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री कृष्ण चन्द्र तुल्छिया –वादीगण

एकतरफा –प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 16.10.2025

–ःनिर्णयः–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा उमण्ड तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में आराजी संख्या 1521 रकबा 0.20 हैक्ट0, आराजी नम्बर 1522 रकबा 0.44 हैक्ट0, आराजी नम्बर 1523 रकबा 0.55 हैक्ट0, कुल किता 3 कुल रकवा 1.19 हैक्ट0 स्थित है। यह आराजीयात जैरबहस वादीगण एवं प्रतिवादीगण और खातेदार मुली बाई पत्नी बरदीचन्द जाति ब्राहम्ण की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारीस वादीगण है। इसी प्रकार चान्दी बाई पत्नी रूप लाल ब्राहम्ण की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके वारीस प्रतिवादीगण है।

यह कि आराजीयात जैरबहस में वादीगण प्रत्येक का 1/8 हिस्सा बनता है एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक का भी 1/8 हिस्सा बनता है। आराजीयात जैरबहस वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व एवं संयुक्त कब्जे की है। लेकिन आराजीयात जैरबहस संयुक्त कब्जे का एवं संयुक्त स्वामित्व होने के कारण आराजियात का लगान जमा कराने में एवं आराजियात की उपज का विभाजन करने में विवाद बना रहता है। इसलिए आराजीयात का विभाजन कर प्रत्येक वादीगण को 1/8 हिस्सा का अलग अलग कब्जा दिलाया जावें तथा मृतक खातेदार मुली बाई का 1/8 हिस्सा भी वादीगण में बराबर विभाजित किया जावें इसी प्रकार प्रतिवादीगण प्रत्येक को भी 1/8 हिस्सा अलग अलग विभाजन कर कब्जा दिलाया जावें तथा मृतक खातेदार चान्दी बाई पत्नी रूपलाल का हिस्सा भी प्रतिवादीगण में बराबर विभाजित किया जायें।

यह कि विभाजन बाबत् प्रतिवादीगण को दिनांक 1/6/2020 को कहा लेकिन प्रतिवादीगण विभाजन करने से इन्कार हो गये। यह कि वादकारण दिनांक 1/06/2020 को प्रारम्भ होकर उसके बाद प्रतिदिन पैदा हो रहा है ।

अन्त में वादीगण की प्रार्थना है कि –

– पक्ष वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के विभाजन की डिकी इस आशय की जारी फरमायी जावें कि वादपत्र की कालम संख्या एक में वर्णित आराजियात का विभाजन कर 1/8 प्रत्येक का विभाजन